P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-2* ISSUE-9* December- 2017
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

राजस्थान का राज्य प्रशासन : उभरती हुई प्रवृतियाँ एवं चुनौतियां

दयाचन्द
व्याख्याता,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय,
थानागाजी,
अलवर,राजस्थान

सारांश

भारतीय प्रशासनिक ढांचे में उभरती हुई प्रवृतियां एवं चुनौतियाँ राज्य प्रशासन की संरचना को प्रभावित करते हैं। इन प्रवृतियों एवं चुनौतियों के समाधान में लोक सेवकों की महतवपूर्ण भूमिका होती हैं।

भारत में संघीय व्यवस्था की आवश्यकता के अनुरूप दोहरी शासन व्यवस्था हैं। एक केन्द्र की शासन व्यवस्था और दूसरी संघ की अवयवी इकाइयों की शासन व्यवस्था। केन्द्र की तरह राज्यों की शासन व्यवस्था भी संसदीय है और सभी राज्यों का प्रशासनिक ढांचा केन्द्र जैसा ही है। राज्यों में राज्यपाल का वहीं स्थान हैं जो कि केन्द्र में राष्ट्रपति का है। यद्यपि भारत राज्यों का संघ हैं तो भी शक्ति संतुलन केन्द्र की ओर झुका हुआ है। फिर भी राज्य प्रशासन स्वतंत्रता का उपयोग करता है।

मुख्य शब्द : संसदीय, संघात्मक शासन, राज्य–प्रशासन।

प्रस्तावना

देश के 29 राज्यों में राजस्थान महत्वपूर्ण स्थान रखता हैं। 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् राजस्थान में स्थित 22 देशी रियासतों के एकीकरण का कार्य प्रारम्भ हुआ, जो कई चरणों में पूरा हुआ। तथा राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में 1 नवम्बर,1956 में आया।

राजस्थान की स्थापना के बाद राज्य में अनेक समस्याएँ उत्पन्न हुईं। देशी रियासतों में समानता कम, किन्तु विभिन्नताएँ असंख्य थी। राज्य की स्थापना के बाद जो नई चुनौतियां एवं समस्याएँ पैदा हुई, उनके समाधान हेतु समय–समय पर प्रशासन में सुधार होते रहे हैं और प्रशासन को उपयोगी, सार्थक और प्रभावशाली बनाये रखने की चेष्टाएँ की जाती रहीं हैं। राज्य प्रशासन को छूने वाले अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने समय–समय पर अनेक समितियों की रचना की है यथा–विभागीय प्रक्रिया समिति (1954),राजस्थान प्रशासनिक जांच समिति (1956), तथा राज्य मितव्ययता समिति, (1956) आदि।

शोध का उद्देश्य

राजस्थान के राज्य प्रशासन के सम्बंध में अध्ययन तो पूर्व में भी विद्वानों व राजनीतिक ज्ञाताओं द्वारा किया जाता रहा है, लेकिन वर्तमान शोध अध्ययन पूर्ववर्ती सभी शोध अध्ययनों से भिन्न हैं, क्योंकि इस अध्ययन में 1990 के दशक के उपरान्त उभरकर आये वैश्वीकरण, उदारीकरण व निजीकरण की अवधारणा का राज्य, उसकी सम्प्रभुता तथा राज्य की जनकल्याण के प्रति सिमटती जा रहीं भूमिका का अध्ययन किया हैं। तथा वर्तमान शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। यथा–

1. राज्य प्रशासन की सन् 1950 से वर्तमान काल तक बदलती हुई भूमिका का विश्लेषण करना।
2. विभिन्न मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में राज्य प्रशासन में आये बदलावों का वर्णन करना।
3. केन्द्रीय प्रशासन ने राज्य प्रशासन को किस तरह प्रभावित एवं नियंत्रित किया हैं। इसकी समीक्षा करना।
4. प्रशासन में भ्रष्टाचार की बढ़ती भूमिका का अध्ययन करना।
5. राज्य प्रशासन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद की समन्वयात्मक भूमिका का अध्ययन करना।
6. राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव तथा राज्य सचिवालय की भूमिका का अध्ययन करना।
7. स्थानीय प्रशासन में नगरीय एवं ग्रामीण प्रशासन की संवैधानिक स्थिति एवं वास्तविक स्थिति का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

यहाँ शोध विषय से सम्बन्धित उपलब्ध साहित्य सामग्री का अवलोकन करने का प्रयास किया गया हैं।

वाई.एस.मेहता की रचना 'एडमिनिस्ट्रेशन एण्ड रिफॉर्मस' (1973) में राजपूताना राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था एवं ब्रिटिश काल के दौरान व स्वतंत्रता के बाद किये गये प्रशासनिक सुधारों पर बल केन्द्रित किया गया हैं। तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं।

ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान द्वारा जारी वार्षिक 'प्रशासनिक प्रतिवेदन 2016–17' (2017) में राजस्थान राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था के ऐतिहासिक वर्णन से लेकर वर्तमान काल तक का वर्णन करते हुए बताया गया हैं कि आज राजस्थान में प्रशासन ने अपने क्षेत्र में सराहनीय सफलता प्राप्त की है।

मोहन मुखर्जी की पुस्तक 'एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन इन राजस्थान', (1982), में प्रशासन से जुड़े विभिन्न व्यक्तियों के आलेखों का संग्रह किया गया हैं। यह पुस्तक तत्कालीन राजस्थान में उभरती प्रशासनिक व्यवस्था का विश्लेषण करती हैं।

जी.एस.एल. देवड़ा द्वारा रचित पुस्तक ''राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था''(1982), में रियासतकालीन प्रशासनिक व्यवस्था एवं इसमें ब्रिटिश शासन के प्रभाव के कारण किये गये परिवर्तन के फलस्वरूप प्रशासन की कार्यप्रणाली में आये बदलाव की व्यवहारिक स्थिति को प्रदर्शित किया गया हैं।

रमेश अरोड़ा तथा मीना सोगानी द्वारा लिखित पुस्तक ''स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान'' (1989) में राजस्थान राज्य की प्रशासन व्यवस्था पर ध्यान केन्द्रित किया गया हैं। इसमें एकीकरण से पूर्व प्रशासन व्यवस्था का स्वरूप और बाद में राज्य की प्रशासन की स्थिति का आलोचनात्मक अध्ययन किया गया हैं।

उपर्युक्त विवेचन द्वारा शोध–विषय से सम्बन्धित साहित्य की समीक्षा करने का प्रयास किया गया हैं। समय तथा अन्य परिस्थितियों की सीमाओं में रहते हुए जो साहित्य सुलभ हो पाये, उन्हीं की यहां समीक्षा की गई हैं।

शोध विधि

शोध अध्ययन का स्वरूप सैद्धान्तिक तथा अनुभवमूलक दोनों ही हैं। अतः सैद्धान्तिक पदो के निरूपण के लिए विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाया गया हैं।

इस शोध में अनुभवमूलक अध्ययन के लिए एक प्रष्नावली तैयार की गई हैं, जिसमें कुछ व्यक्तियों से व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार किया गया हैं। उत्तरदाताओं द्वारा दिये गये उत्तरों के विष्लेषण के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था से सम्बन्धित व्यावहारिक सुझाव दिये गये हैं।

राजस्थान का राज्य प्रशासन

राजस्थान में ब्रिटिश शासन के हस्तक्षेप से पूर्व तक राजपूताना राज्यों के शासक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र व्यवस्थापन, कार्यकारी एवं न्यायिक शक्ति रखते थे। शासक प्रशासन के संचालन एवं क्रियान्वयन के लिए एक मंत्रिपरिषद् की व्यवस्था करता था। यद्यपि अन्तिम निर्णय शासक द्वारा ही किया जाता था।

स्वतंत्रता के बाद एकीकृत राजस्थान में भी केन्द्र की भांति संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई हैं। इस संसदात्मक व्यवस्था में राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता हैं। जबकि मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है अर्थात् राज्य प्रशासन का वास्तविक मुखिया मुख्यमंत्री होता हैं। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद् सम्मिलित होती हैं।

राज्य प्रशासन में मंत्रिमण्डल सचिवालय महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता हैं। इसका प्रमुख एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है, जिसे मुख्य सचिव कहा जाता है तथा मुख्य सचिव को अपने कार्यो में सहायता उलपब्ध कराने के लिए विषिष्ट शासन सचिव, उप शासन सचिव और सहायक शासन सचिव कार्य करते हैं।

राज्य शासन सचिवालय द्वारा मंत्रिमण्डल की बैठकों के लिए कार्यविधि तैयार करना, इन बैठकों में लिये गये निर्णयों का विवरण रखना आदि कार्यो का सम्पादन किया जाता हैं।

राज्य प्रशासन की चुनौतियां

राजस्थान में प्रशासन की कार्य संस्कृति सदैव जागरूक रहीं हैं। राज्य प्रशासन को सजग, जनता के प्रति जवाबदेही, संवेदनशील एवं पारदर्शिता तथा कार्मिक प्रशासन की कार्यप्रणाली में सुधार इत्यादि के द्वारा जन कल्याणकारी प्रशासन का उद्देश्य राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुसार शासन तंत्र के स्वरूप, विभागों की कार्य प्रणाली, जन–समस्याओं के निराकरण के लिए प्रशासन तंत्र को चुस्त एवं सुधारों व नवाचारों को अपनाया जाता रहा हैं। लेकिन आज वैश्वीकरण एवं सूचना तकनीकी की उभरती प्रवृतियों से राज्य प्रशासन के सामने नई–नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो रहीं है। जो कि निम्नलिखित हैं–

1. केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने सूचना के अधिकार को कानूनी रूप प्रदान कर दिया है अर्थात् नागरिकों को प्रशासनिक एवं अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का कानूनी अधिकार हैं। लेकिन यह अधिकार प्रशासन के लिए चुनौतिपूर्ण कार्य है, क्योंकि न तो प्रशासनिक अधिकारियों की मानसिकता इसके लिए तैयार हैं और न हीं राज्य प्रशासनिक व्यवस्था इतनी विकसित हैं कि नागरिकों को हर संभव सूचना प्रदान कर सकें। सूचना के अधिकार कानून में भी कई खामियां हैं, जिसके परिणामस्वरूप वह कानून मात्र दिखावा बनकर रह गया हैं।
2. राज्य प्रशासन में लोक सेवक आज भी औपनिवेशकालीन सोच से मुक्त नहीं हो पाये हैं। वे आज भी स्वयं को जनता का सेवक न समझकर, मालिक समझते हैं। आज भी पटवारी, ग्रामसेवक से लेकर कलैक्टर तक के सभी अधिकारी–कर्मचारी इसी मानसिकता को अपनाये हुये हैं। इस तरह बदलते वैश्विक परिवेश के अनुसार इनकी मानसिकता एवं दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना महत्वपूर्ण चुनौती है।

3. अखिल भारतीय एवं राज्य स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बदलते राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक पर्यावरण के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना विशेष चुनौती है। क्योंकि ये सभी भ्रष्टाचार की अंधी प्रतियोगिता में फंसे हुये हैं।
4. आज वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण की बढ़ती सक्रियता के फलस्वरूप सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा हैं। और जन कल्याणकारी योजनाओं में कमी की जा रही हैं। यद्यपि इससे देश की आर्थिक विकास दर में तो वृद्धि हो रही है, किन्तु आम आदमी की स्थिति बद्तर होती जा रही है। मीडिया ही एक माध्यम है जो भूमण्डलीकरण के दौर में नागरिकों की समस्याओं को उठाता है। अतः प्रशासन तंत्र को वैश्वीकरण के दौर में नागरिकों की अपेक्षाओं के अनुसार ढ़ालना एवं साथ ही मीडिया को वैश्वीकरण के परिवेश में प्रशासनिक व्यवस्था के अर्न्तगत अपनी विचार अभिव्यक्ति के अधिकार को बनाये रखना भी एक चुनौती है।
5. न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के बीच क्षेत्राधिकार एवं कार्यप्रणाली को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है। इस तनाव के पीछे मुख्य कारण यह है कि जहाँ कार्यपालिका में नागरिकों की समस्याओं एवं आकाक्षांओं के प्रति निष्क्रियता आयी हैं वहीं न्यायपालिका में सक्रियता का विकास हुआ हैं। इसलिए सरकार के दोनों अंग आपस में एक–दूसरे को सीमाओं में रहने की हिदायत दे रहे हैं। इन दोनों अंगों में आपसी समन्वय एवं सामंजस्य बनाना भी एक चुनौती बनी हुई हैं।
6. प्रशासन में अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप मंत्रियों एवं सचिवों के बीच मतभेद उत्पन्न होते रहते हैं। जिसका परिणाम सामान्य जनता को भुगतना पड़ता हैं। क्योंकि इस अनुचित राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण अधिकारियों में नागरिकों के प्रति असहयोग एवं असंवेदनशीलता की भावना घर कर जाती है, जिससे सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यो में अनुचित देरी होती हैं।
7. देश में राजनीतिक अपराधी गठजोड़ ने प्रशासन तंत्र के सम्मुख एक ऐसी चुनौती पैदा की हैं, जिसने प्रशासन तंत्र को पंगु बना दिया हैं, क्योंकि अपराधियों पर राजनेताओं का साया होने के कारण ये प्रशासनिक अधिकारियों को धमकियाँ देते है। इसलिए देश के गौरव को बनाये रखने के लिए इस चुनौती से कठोरता से निपटना जरूरी हैं।
8. प्रशासन में फैलते भ्रष्टाचार, उत्तरदायित्व का अभाव तथा लालफीताशाही ने विकास कार्यो में अडंगे लगाये हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में अधिकारियों द्वारा अपने पद एवं सत्ता का दुरूपयोग किया जाता हैं। जान–बूझकर जनता के कार्यो को पूरा करने में देरी की जाती हैं। जिससे भ्रष्टाचार पनपता है। राज्य प्रशासन के सामने भ्रष्टाचार एवं लालफीताशाही आज भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।

राज्य प्रशासन के समक्ष ऊपर वर्णित मुख्य चुनौतियों के अतिरिक्त पर्यावरण के मुद्दे, विभिन्न राज्यों के बीच होने वाले जल विवादों के मुद्दे आदि असंख्य समस्याएँ मुंह बांए खड़ी हैं। जिनका समाधान होना जरूरी है, तभी लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य पूरा होगा।

समाधान

प्रशासन के समक्ष यह एक महत्वपूर्ण चुनौती है कि सीमित स्त्रोतों से अधिकतम सेवाओं का उत्पादन व जनहित में योगदान कैसे बढ़ाया जाये। यह भारत एवं उसके राज्यों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहाँ शासकीय अभिकरणों की कार्य–संचालन प्रणाली से लोग असंतुष्ट हैं। इसलिए प्रशासनिक तंत्र के लिए यह जरूरी हो जाता हैं कि वह परिवर्तित परिथितियों के अनुरूप स्वयं की कार्यप्रणाली तथा संगठनात्मक ढांचे में आवश्यक परिवर्तन करें।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के लिए अनेक आयोगों तथा समितियों का गठन किया तथा इनकी सिफारिषों या रिपोर्टो के आधार पर प्रशासनिक कार्य प्रणाली में सुधार एवं संशोधन किये गये हैं। केन्द्र सरकार के अतिरिक्त राजस्थान सरकार ने भी राजस्थान में प्रषासनिक सुधार से सम्बन्धित निम्नलिखित आयोगों तथा समितियों का गठन किया है–

1. विभागीय प्रक्रिया समिति, 1954.
2. राज्य मितव्ययता समिति, 1956.
3. भगवत सिंह मेहता समिति, 1956.
4. राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति, 1963.
5. सचिवालय सुधार समिति, 1965.
6. सचिवालय पुनर्गठन समिति, 1969.
7. सचिवालय प्रक्रिया समिति, 1971.
8. राज्य मितव्ययता समिति, 1989–90.
9. प्रशासन सुधार समिति, 1992.
10. राज्य प्रशासनिक आयोग, 1999.
11. प्रशासनिक सुधार समिति, 2007.

उपर्युक्त वर्णित समितियों ने राज्य प्रशासन में सुधार करने हेतु, सचिवालय के संगठन, प्रक्रियाओं, मितव्ययता, कार्यप्रणाली के क्रम में राज्य सरकार को अनेक सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। जिसकी अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा यथासंभव परिवर्तन एवं सुधार किये गये हैं।

जनता के प्रति जवाबदेही, संवेदनशील एवं पारदर्शिता जन कल्याणकारी शासन के मूलमंत्र हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने समय–समय पर बदलती परिस्थितियों एवं जन समस्याओं के निराकरण के लिए निर्धारित प्रक्रिया, नियमों में परिवर्तन एवं सुधार किया हैं। प्रशासन में भ्रष्टाचार रोकने हेतु मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की गई है तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर समय–समय पर कानूनी कार्यवाही की गई है। प्रशासन में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने सूचना का अधिकार–कानून, 2005 लागू करते हुए राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कर दी हैं।

इस प्रकार प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण और उन्हें सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने अधिकाधिक प्रयास किया हैं। सरकार द्वारा उठाये गये

कदमों से सकारात्मक परिणाम आने की अपेक्षा हैं। यह भी स्पष्ट है कि समस्याओं का आधार प्रकार बड़ा हो तो उनके समाधान में भी समय लगता हैं। लेकिन यदि समाधान का संकल्प ले लिया जाये तथा उसे क्रियान्वित भी सम्पूर्ण ईमानदारी के साथ किया जाये तो सार्थक परिणाम संभव हैं।

निष्कर्ष

भारत में स्वतंत्रता पूर्व से ही प्रशासन व्यवस्था को सही दिशा एवं दशा देने हेतु सुधार प्रक्रिया हो गयी थी। लेकिन आधुनिक काल में राज्य आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तन के परिवेश से गुजर रहे हैं। इस प्रक्रिया में सामाजिक एवं आर्थिक लक्ष्य नवीन आवश्यकताओं के अनुसार तीव्र गति से परिवर्तित होते हैं। इन प्रगतिशील लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रशासन की संरचना, प्रक्रिया एवं दर्शन इत्यादि में अपेक्षित सुधार किया जाना आवश्यक है। प्रशासनिक परिवर्तन या सुधार की यह व्यवस्था विकसित एवं प्रगतिशील दोनों ही प्रकार के राज्यों के लिए आवश्यक हैं। राज्य प्रशासन को संचालित करने वाले संगठन, संस्थाएँ एवं गैर–सरकारी संगठन इत्यादि इन समस्याओं को हल करने में स्वतंत्रता के बाद से ही सजग रहे हैं।

स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के लिए अनेक आयोगों तथा समितियों का गठन किया ताकि आयोगों या समितियों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रशासनिक कार्य–प्रणाली में सुधार एवं संशोधन किए गए हैं। केन्द्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों ने भी अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित सचिवालयीय एवं कार्यकारी विभाग–व्यवस्था में सुधार हेतु अनेक सचिवालय सुधार तथा विभागीय कार्य प्रणाली से सम्बन्धित समितियों का गठन किया है। राजस्थान राज्य में प्रशासनिक सुधारों तथा नवाचारों का भरपूर प्रयास किया गया हैं। राजस्थान का प्रशासनिक तंत्र अधिक सजग, संवेदनशील तथा स्वच्छ छवि का रहा है।

सुझाव

राज्य प्रशासन के सक्षम उठती हुई नवीन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ अनुशंसाएँ एवं सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे है। यथा–

1. प्रशासनिक सुधारों की सिफारिशों को सरकार द्वारा लागू किया जाना चाहिए तथा सिफारिशों के अनुसार प्रशासनिक संरचना को समय के अनुरूप व्यवहार में लाना चाहिए।
2. सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश की जनता को एक स्वच्छ ईमानदार एवं संवेदनशील प्रशासन देने की होनी चाहिए।एक अच्छी सरकार वह है जहाँ प्रशासन जनता की समस्याओं को निपटाने में तत्परता से कार्य करें तथा जनहित से प्रेरित हो।
3. सरकार द्वारा प्रशासन से भ्रष्टाचार हटाने व प्रशासन को स्वच्छ बनाने के लिए राज्य स्तर, जिला स्तर एवं स्थानीय स्तर पर जनता के सहयोग से विस्तृत मुहिम चलानी चाहिए। सभी राजनीतिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों को लोकायुक्त की जाँच दायरे में सम्मिलित किया जाये।
4. प्रशासनिक कार्यों में दक्षता एवं कुशलता लाने के लिए नित नई अविष्कृत तकनीकों के प्रयोग को प्रशासन की दैनिक कार्यवाही का हिस्सा बनाना चाहिए।
5. प्रशासन में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पुरातनवादी मानसिकता में परिवर्तन हेतु नई पद्धतियों के सम्बंध में प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए।
6. राज्य सरकार को अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सम्बन्ध में एक स्थानांतरण नीति का निर्माण करना चाहिए। ताकि कर्मचारी स्थानान्तरण के भय से मुक्त होकर कुशलता से कार्य कर सके।
7. प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन होना चाहिए। तथा यह मूल्यांकन निष्पक्ष व पारदर्शी होना चाहिए।

यह शोध पत्र राजस्थान राज्य प्रशासन की गंभीर चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए, उनके लिए समाधान प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन भविष्य में लोक प्रशासन से जुड़े नौकरशाह, शिक्षक, नीति–निर्माताओं तथा शोध–कर्ताओं के लिए एक शैक्षणिक स्तर को सुधारने तथा नीतियों का जन भागीदारी बनाने में महत्वपूर्ण होगा। इन सुझावों, निष्कर्षो तथा सिद्धान्तों के द्वारा प्रशासनिक संरचना का भविष्य समुचित रूप ले सकेगा, ऐसा शोधार्थी का विश्वास है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *मुखर्जी, मोहन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन इन राजस्थान, एसोसियेटड, 1982, न्यू देहली, पृष्ठ 75*
2. *मेहता, बी0, ब्यूरोक्रेसी एण्ड चेंज, सेंटर, फॉर एडमिनिस्ट्रेशन चेन्ज, जयपुर, 1975, पृष्ठ 6*
3. *देवड़ा, जी0एस0एल, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, धरती प्रकाशन, बीकानेर, 1981, पृष्ठ 49*
4. *अरोड़ा, रमेश, सोगानी, मीना, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इन राजस्थान, आर.वी.एस.ए.पब्लिशर्स, जयपुर,1989, पृष्ठ 25.*
5. *कपूर ज्ञान, द चीफ मिनिस्टर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, अरिहंत पब्लिकेशन, जयपुर, 1990, पृष्ठ 70.*
6. *जैन, सी.एम., स्टेट लेजिस्लेचर इन इण्डिया, नई दिल्ली, 1972, पृष्ठ 9.*
7. *पाण्डेय, ललन बिहारी, द स्टेट एक्जिक्यूटिव, अमर प्रकाशन, दिल्ली, पृष्ठ 84.*
8. *पान्ड़ा, वासुदेव, इण्डियन ब्यरोक्रेसी, उप्पल पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1978.*
9. *तंवर, श्यामसिंह, स्टेट एडमिनिस्ट्रेषन इन राजस्थान, लोकचेतना प्रकाशन, 2016, पृष्ठ 29–52*
10. *वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2016–17, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर, 2017, पृष्ठ 13.*